निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या - 167/वर्ष 2016–17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के माह 04/2010 से 02/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 09.03.2017 से 22.03.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुन्दन कुमार एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 12.01.2011 से 17.01.2011 तक सम्पादित की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा मुख्य रुप से आम जनता को शुद्व एवं क्लोरीनेशनयुक्त जलापूर्ति की जाती है तथा पेयजल योजनाओं का रख–रखाव/पुनर्गठन के कार्य एवं जलमूल्य वसूली का कार्य किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी है, जिसमें पेयजल आपूर्ति एवं जलमूल्य वसूला जाता है।

   (ii) (अ) विगत सात वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2010–11	–	649.51	356.88	297.08	1416.19	856.81	–	59.80	–	1208.89
2011–12	59.80	1208.89	395.90	365.48	885.05	1178.28	–	90.22	–	915.66
2012–13	90.22	915.66	353.67	392.05	1198.78	1452.26	–	51.84	–	662.18
2013–14	51.84	662.18	370.86	406.78	1479.31	1258.85	–	15.92	–	882.64
2014–15	15.92	882.64	1125.93	460.22	2900.99	2443.78	–	681.63	–	1339.85
2015–16	681.63	1339.85	566.14	533.50	3316.96	3332.94	–	714.27	–	1323.87
2016–17	714.27	1323.87	257.71	475.48	560.31	1072.03	–	496.50	–	812.15

(ii) (ब) स्वायत्त निकाय की इकाईयों के विगत सात वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.	प्रारम्भिक अवशेष	649.51	1268.69	1005.88	714.02	898.56	2021.48	2038.14
2.	वर्ष में दौरान प्राप्तियां							
	(क) केन्द्रांश	275.75	336.64	306.17	455.28	1805.88	1532.24	14.38
	(ख) राज्यांश	1140.44	548.41	892.61	1024.03	1095.11	1784.72	545.93
	(ग) अन्य प्राप्तियां	356.88	395.90	353.67	370.86	1125.93	566.14	257.71
3.	कुल योग (1+2)	2422.58	2549.64	2558.33	2564.19	4925.48	5904.58	2856.16
4.	वर्ष के दौरान व्यय	1153.89	1543.76	1844.31	1665.63	2904.00	3866.44	1547.51
5.	अंतिम अवशेष	1268.69	1005.88	714.02	898.56	2021.48	2038.14	1308.65

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है:

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रार0 अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2010–11	एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0, स्वैप, वर्ल्ड बैंक एवं दैवीय आपदा	1.37	275.75	227.26	–	49.86
2011–12		49.86	336.64	172.57	–	213.93
2012–13		213.93	306.17	448.87	–	71.23
2013–14		71.23	455.28	165.85	–	360.66
2014–15		360.66	1805.88	1495.11	–	671.43
2015–16		671.43	1532.24	2197.18	–	6.49
2016–17		6.49	14.38	14.02	–	6.85

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्र, राज्य, जिला योजना, सांसद निधि, विधायक निधि एवं दैवीय आपदा के अन्तर्गत मुख्यालय एवं जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई अ श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

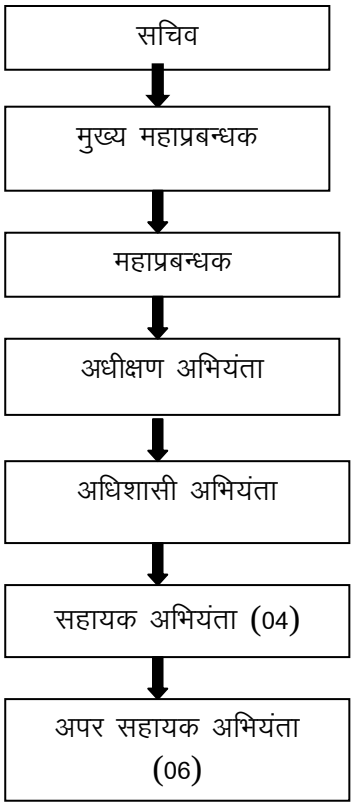

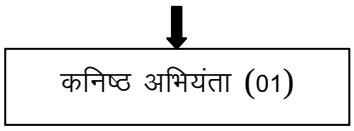

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2013, जून 2014, अगस्त 2015 एवं जनवरी 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया। इकाई में संचालित पेयजल योजनाओं में से 06 पेयजल योजनाओं का चयन विस्तृत विश्लेषण हेतु किया गया। प्रतिचयन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 -जलमूल्य की बकाया धनराशि रु0 320.95 लाख की वसूली न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के राजस्व वसूली से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की विस्तृत जॉच में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत 10 वसूली इकाईयों में पेयजल आपूर्ति के जलमूल्य की बकाया राशि रु0 320.95 लाख वसूली हेतु लम्बित थी, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में कुल प्रभार	कुल योग	वर्ष के दौरान कुल वसूली	अन्तिम अवशेष
2010–11	1,72,44,176.50	2,78,45,429.00	4,50,89,605.50	2,70,33,939.00	1,80,55,666.50
2011–12	1,80,55,666.50	3,32,44,961.00	5,13,00,627.50	3,14,24,089.00	1,98,76,538.50
2012–13	1,98,76,538.50	3,49,30,292.00	5,48,06,830.50	3,28,46,073.00	2,19,60,757.50
2013–14	2,06,89,724.50	2,91,18,421.00	4,98,08,145.50	2,14,31,061.00	2,83,77,084.50
2014–15	2,83,77,084.50	4,81,13,140.00	7,64,90,224.50	6,57,16,859.00	1,07,73,365.50
2015–16	1,07,73,365.50	4,92,91,352.00	6,00,64,717.50	3,60,76,059.00	2,39,88,658.50
2016–17 (02/2017 तक)	2,39,88,658.50	3,45,58,992.00	5,85,47,650.50	2,64,53,134.00	3,20,94,516.50

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहॉ मार्च 2010 में लम्बित धनराशि रु0 172.44 लाख थी, वहीं सात वर्ष के अन्तराल के पश्चात् फरवरी 2017 तक यह धनराशि रु0 320.95 लाख हो गई। जिसके कारण लम्बित वसूली मार्च 2010 में रु0 172.44 लाख के सापेक्ष फरवरी 2017 में रु0 148.51 लाख अधिक बढ गई, जो लम्बित वसूली हेतु खण्ड कार्यालय की उदासीनता का द्योतक था। आगे, जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा जलकर जमा न करने वाले कनेक्शनधारियों के विरुद्व कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि नियमानुसार ऐसे जल उपभोक्ताओं के जल कनेक्शन विच्छेदित किए जाने चाहिए थे। खण्ड की इस कमी के कारण न केवल जलकर जमा न करने वालों को बढावा मिलता है बल्कि शासन/विभाग को भी हानि उठानी पडती है क्योंकि यदि धनराशि समय पर प्राप्त हो जाती तो उसका उपयोग तात्कालिक रुप से किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि लम्बित रहने के कारण जल उपभोक्ताओं द्वारा जलमूल्य जमा न किया जाना है। अवशेष जलमूल्य की वसूली हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं तथा जिन उपभोक्ताओं द्वारा जलमूल्य समय पर जमा नहीं किया है, उनके जल संयोजन विच्छेदित कर दिए जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जलमूल्य जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के जल कनेक्शन तो नियमानुसार विच्छेदित उसी समय किए जाने चाहिए थे, जब उनके द्वारा धनराशि जमा नहीं की थी।

अतः जलमूल्य की बकाया धनराशि रु0 320.95 लाख की वसूली न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 स्वैप कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व कार्यों को पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार पर रु0 48.90 लाख की देयता के साथ–साथ रु0 17.87 लाख का अलाभकारी व्यय

स्वैप कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायत समितियों एवं स्थानीय समितियों के माध्यम से ग्रामीण जल की पूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार लाना तथा जन सहभागिता, मांग आधारित नीति के क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित करना कि लोगों को वांछित स्तर से सेवा मिल सके और वे पूंजी लागत के कुछ अंश और संचालन एवं रख–रखाव के लिए सम्पूर्ण लागत का भुगतान कर सकें। कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को धनराशि जल संस्थान द्वारा तीन किश्तों में प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत तथा जब पंचायतें प्रथम किस्त का समायोजन प्रस्तुत कर देती हैं तो पुनः द्वितीय एवं तृतीय किस्तों क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत प्रदान किया जाना था। इसमें जल संस्थान को यह भी सुनिश्चित करना था कि पंचायतों को भुगतान शर्तों के अनुसार एवं समय पर हो। यदि पंचायतें कार्य सुचारू/संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं कर पाती हैं तो कार्यक्रम के दिशा–निर्देश संख्या 38 के अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से सम्पूर्ण धनराशि पर वसूली की जायेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के स्वैप कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत 212 पेयजल योजनायें चयनित की गई थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 12 पेयजल योजनाऐं ड्राप हुई, 191 योजनाऐं पूर्ण कर आत्मार्पित/लेखाबन्दी की गई तथा 09 योजनाऐं अपूर्ण थी। अपूर्ण 09 योजनाओं की जॉच में पाया गया कि इन योजनाओं की अनुबन्धित लागत रु0 66.76 लाख थी, उसके सापेक्ष ग्राम पंचायतों को रु0 37.42 लाख दिसम्बर 2010 से मार्च 2013 के मध्य अग्रिम के रुप में प्रदान किया गया। प्रदत्त अग्रिम के सापेक्ष ग्राम पंचायतों द्वारा अद्यतन रु0 17.87 लाख व्यय करते हुए कार्यों को अपूर्ण एवं अधूरा ही छोड दिया तथा अवशेष राशि रु0 19.55 लाख भी वापस नहीं की थी। सचिव अप्रैजल द्वारा खण्ड कार्यालय को स्पष्ट कर दिया गया था (08.10.2015) कि स्वैप कार्यक्रम दिसम्बर 2015 में समाप्त हो रहा है अतः अपूर्ण पेयजल योजनाओं को उससे पूर्व पूर्ण तथा लेखाबन्दी कर ली जाए। ऐसा न किए जाने पर विश्व बैंक द्वारा पेयजल योजनाओं में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी तथा उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी होगी। लम्बित कार्यों का विवरण निम्नवत थाः–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्धित राशि	प्रदत्त अग्रिम राशि	समायोजित राशि	अवशेष राशि
1.	सुनल्डी	304343.00	101651.00	10331.00	91320.00
2.	हलना (गडोली तोक)	3222301.00	2561748.00	1302308.00	1259440.00
3.	भानकोली	621273.00	221622.00	121622.00	100000.00
4.	दंडालगॉव	352445.00	216016.00	116016.00	100000.00
5.	हरेती	472439.00	102713.00	2713.00	100000.00
6.	भैंटगॉव	423486.00	120495.00	115834.00	4661.00
7.	तुलयारा (सुनारगॉव)	351198.00	102230.00	2230.00	100000.00
8.	तुलयारा (देवीसौड)	319070.00	102102.00	2102.00	100000.00
9.	नन्दगॉव	609711.00	213435.00	113435.00	100000.00
	योगः–	**66,76,266.00**	**37,42,012.00**	**17,86,591.00**	**1955421.00**

खण्ड कार्यालय द्वारा अपूर्ण 09 कार्यों को स्वैप कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व न किए जाने के परिणामस्वरुप न केवल राज्य सरकार पर रु0 48.90 लाख[1] की अतिरिक्त देयता पडी अपितु कार्यो पर हुए अद्यतन व्यय रु0 17.87 लाख भी लम्बी अवधि तक अपूर्ण रहने के कारण अलाभकारी भी रहा। यदि इन 09 कार्यों को स्वैप कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया होता तो रु0 48.90 लाख की प्रतिपूर्ति भारत सरकार को करनी पडती एवं राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार नहीं पडता।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा आपसी विवाद के कारण कार्य पूर्ण नहीं किए गये जिस हेतु समय–समय पर पत्राचार एवं नोटिस निर्गत किए गये। भविष्य में राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कर लिए जाऐंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी कार्यालय की थी एवं इन सब बिन्दुओं को अग्रिम राशि अवमुक्त किए जाने के समय देखा जाना चाहिए था।

अतः स्वैप कार्यक्रम समाप्ति से पूर्व कार्यों को पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार पर रु0 48.90 लाख की देयता के साथ–साथ रु0 17.87 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[1] रु0 48.90 लाख = अनुबन्धित राशि रु0 6676266.00 – समायोजित राशि रु0 1786591.00

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 शासनादेश के निर्देशों के विपरीत बिना आय वर्ग का चिन्हीकरण कर रु0 251.56 लाख का जलमूल्य छूट/माफ किया जाना।

उत्तराखण्ड में जून 2013 में हुई अतिवृष्टि/बाढ से अत्यधिक जन–धन की हानि हुई थी, जिससे पर्यटन तथा रोजगार के अवसर प्रभावित हुए थे एवं लोगों को जीविकोपार्जन में अत्यधिक कठिनाई हुई थी। जन सामान्य की उक्त कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के जल उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2014–15 में जलमूल्य में छूट/माफ किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया (19.09.2014)। उपरोक्त के क्रम में खण्ड कार्यालय को रु0 251.56 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई (13.10.2014)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड कार्यालय द्वारा जलमूल्य छूट/माफ किए जाने हेतु शासनादेश में उल्लिखित अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के जल उपभोक्ताओं का निर्धारण न कर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को छोडकर सम्पूर्ण जनपद के अन्य समस्त जल उपभोक्ताओं को सम्मिलित करते हुए 20,509 जल उपभोक्ताओं हेतु रु0 251.54 लाख की सूची प्रेषित की गई (02.01.2015)। जबकि शासनादेश के अनुसार अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के जल उपभोक्ताओं को ही जलमूल्य में छूट/माफ प्रदान की जानी थी। खण्ड कार्यालय में इस तरह के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करे कि कार्यालय द्वारा जलमूल्य में छूट/माफ करने से पूर्व कोई सर्वे या प्रशासन से कोई विवरण लिया गया हो ताकि अल्प एवं मध्यम आय वर्ग का चिन्हीकरण कर चयन किया जा सके। अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि जनपद में अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के अतिरिक्त कितने जल उपभोक्ता विद्यमान हैं। इस प्रकार, बिना आय वर्ग का चिन्हीकरण एवं सत्यापन किए रु0 251.56 लाख के जलमूल्य छूट/माफ किया जाना शासनादेशा के निर्देशों के विपरीत था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में बताया कि शासनादेश दिनॉक 04.03.2014 में निर्धारित जल संयोजन वाले उपभोक्ताओं को आधार मानकर तत्समय सम्पूर्ण जनपद के जल उपभोक्ताओं को जलमूल्य में छूट दी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में निर्धारित जल संयोजन वाले उपभोक्ताओं के साथ–साथ यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जलमूल्य छूट/माफ मात्र अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के लिए होगी।

अतः शासनादेश के निर्देशों के विपरीत बिना आय वर्ग का चिन्हीकरण कर रु0 251.56 लाख के जलमूल्य को छूट/माफ किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 निष्प्रयोज्य सामग्री रु0 84.89 लाख की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 एवं 197 में प्रावधानित है कि किसी भी सामग्री के उपयोग में न हो पाने, अतिरिक्त होने, अप्रासंगिक होने की स्थिति में निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना चाहिए तथा इसप्रकार की निष्प्रयोज्य सामग्री यदि रु0 2.00 लाख से अधिक हो तो उसका निस्तारण निविदा या सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–76 के अनुसार इकाई के आहरण वितरण अधिकारी को 31 मार्च को सभी निष्प्रयोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन कर अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के भण्डार पंजिकाओं/पत्रावलियों एवं निष्प्रयोज्य वाहन से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आएः–

1. खण्ड के अधीन उप–खण्डों में फरवरी 2017 तक रु0 81.80 लाख मूल्य की सामग्री भण्डारों में निष्प्रयोज्य पडी हुई थी। निष्प्रयोज्य सामग्रियों में विभिन्न ब्यास के पाईप, रिंच, गैंती, फावडा, बेलचा, पी0वी0सी0 टैंक इत्यादि सम्मिलित थे। खण्ड द्वारा फरवरी 2017 तक उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किए जबकि सामग्री का सत्यापन मार्च 2015 में अन्तिम बार किया जा चुका था तथा इन सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित भी किया जा चुका था। इस प्रकार के निष्प्रयोज्य सामग्री के अनुपयोगी भण्डार में पडे रहने के कारण न केवल उनके अपक्षय होने से वास्तविक मूल्य में लगातार ह्रास होता रहेगा अपितु समय से नीलामी न किए जाने के कारण सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से भी बंचित होना होगा। खण्ड के अधीन उप–खण्डों में निष्प्रयोज्य पडे सामग्रियों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	भण्डारण स्थल	मूल्य लाख रुपये में
1.	मुख्यालय	4.50
2.	जलकल भण्डार	8.00
3.	चिन्यालीसौड	13.04
4.	धौंतरी	2.68
5.	डुन्डा	3.90
6.	बडकोट	16.47
7.	नौगॉव	7.31
8.	पुरोला/मोरी	25.90
योगः–		**81.80**

2. खण्ड कार्यालय में वाहन जिप्सी संख्या यू.पी.09/823 25.06.1999 को गढवाल जल संस्थान, देहरादून द्वारा क्रय किया गया था तथा 29.07.1999 को अधिशासी अभियन्ता,

अनुरक्षण खण्ड, गढवाल जल संस्थान, उत्तरकाशी को आवंटित कर दिया गया था। वाहन का मूल्य बीमा प्रपत्र के अनुसार रु0 3,08,542 था। जांच में पाया गया कि उपरोक्त वाहन 02/2007 को अनुपयोगी हो गया था परन्तु वर्तमान तक खण्ड कार्यालय द्वारा निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं वाहन निष्प्रयोज्य स्थिति में गैरेज में ही पडा हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया कि कार्यालय में नीलामी हेतु एक लम्बी प्रक्रिया है भविष्य में शीघ्र नीलामी की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी। निष्प्रयोज्य वाहन के सम्बन्ध में बताया गया कि मुख्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। भविष्य में नीलामी की कार्रवाई कर दी जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमतः निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने के पश्चात् नीलामी की कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

अतः निष्प्रयोज्य सामग्री रु0 84.89 लाख की नीलामी न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–5 अग्रिम धनराशि रु0 14.28 लाख का समायोजन न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 518 के अुनसार समान्यतः अनुरक्षण कार्यो, ठेकेदारों के लेखों एवं उचंत/विविध अग्रिम लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही लेखों का समायोजन करते हुए बंद कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी के विविध अग्रिमों से संबंधित लेखा–अभिलेखों की जॉच मे पाया गया कि 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों के विरूद्व रु0 14.28 लाख की धनराशि प्रदान की गई थी, जो विगत एक वर्षों से भी अधिक समय से असमायोजित पड़ी हुई थी। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	01.04.2016 को प्रारम्भिक अवशेष	28.02.2017 को अवशेष
			विविध अग्रिम	विविध अग्रिम
1.	Sh. D. S. Jhinkwan	J.E.	22420.00	22420.00
2.	Sh. S. S. Rawat	J.E.	347613.00	347613.00
3.	Sh. Ashok Kumar Kala	J.E.	5000.00	5000.00
4.	Sh. Ramesh Dutt Thapliyal	J.E.	6000.00	6000.00
5.	Sh. Virendra Singh	A.E.	803120.00	753200.00
6.	Sh. Harish Negi	J.E.	5000.00	5000.00
7.	Sh. Devraj Tomar	J.E.	125000.00	125000.00
8.	Sh. Ramesh Rawat	A.C.	4000.00	4000.00
9.	Sh. Rajesh Kothari	A.C.	1000.00	1000.00
10.	Sh. Purshotam Shah	Steno	11614.00	13614.00
11.	Sh. Suraj Mani Bhatt	Jr. Fiter	12051.00	12051.00
12.	Sh. Upendra Kumar Singh	Jr. Fiter	5700.00	5700.00
13.	Sh. Mohan Singh Bist	ALM	2000.00	40.00
14.	Sh. Jayendra Singh Bist	ALM	904.00	904.00
15.	Sh. Bhagat Singh	ALM	2553.00	2553.00
16.	Sh. B. P. Joshi	Driver	69484.95	47777.95
17.	Sh. Kalam Singh	A.L.M.	480.00	480.00
18.	Sh. Manoj Prasad Joshi	Clerk	2000.00	2000.00
19.	Sh. Dinesh Chandra	Fiter	48310.00	48310.00
20.	Sh. Puran Lal	Fiter	25000.00	25000.00
Total			**1499249.95**	**1427662.95**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया कि विविध अग्रिम की धनराशि समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमतः अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाना चाहिए था।

अतः अग्रिम धनराशि रु0 14.28 लाख के समायोजन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
50/2010–11	–	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
50/2010–11	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	जलकर की वसूली एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसे उपभोक्ताओं को स्वयं ही जमा करना होता है। उपभोक्ताओं को नोटिस एवं सम्पर्क के माध्यम से जलमूल्य प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तथा प्राप्त न होने पर जल संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई की जाती है।	निस्तारित	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन किया जा चुका है।	निस्तारित	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

माप पुस्तिायें 268/एल, 284/एल, 251/एल एवं 290/एल

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–**

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 आर0एस0 नेगी	अधिशासी अभियंता	01.04.2010 से 31.08.2015
2.	ई0 ए0एस0 पंवार	अधिशासी अभियंता	01.09.2015 से 14.10.2015
3.	ई0 वीरेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियंता	15.10.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र